आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहि

11/7/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-38/2023-24

बाबू टोप्पो, ... आवेदक।

बनाम्

(1) विजय चौधरी

(2) डॉ० अखलेश चौधरी

(3) परवीण चौधरी ..... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदक बाबू टोप्पो, पिता–स्व॰ शहदेव टोप्पो, निवास स्थान ग्राम–हेसल, थाना–सुखदेव नगर, जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा– 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। जो वाके मौजा–हेसल, थाना नं०–202, खाता नं०–18, प्लॉट नं०–871 तथा कुल रकबा–68 डिसमील पर आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन विपक्षी (1) विजय चौधरी, (2) डॉ० अखलेश चौधरी, (3) परवीण चौधरी निवास स्थान ग्राम–शक्ति पेट्रोल पम्प, हरमु रोड, गाड़ीखाना, थाना–कोतवाली, जिला–राँची, द्वारा छल प्रपंच कर जमीन हड़प लिए है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा
हेसल	202	18	871	68 डी०

आवेदक ने कहा है कि यह मेरी खतियानी जमीन है आर०एस० खतियान में लोधर उरांव, महादेव उरांव, पेशरान मुखीया, एवं सोमरा उरांव का नाम दर्ज है। तथा पंजी–II में भी लोधर उरांव, महादेव उरांव के नाम से दर्ज है।

11/7/24

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक के शपथ पत्र में दर्शाए गये वंशावली में लोधर उरांव अपने पीछे दो पुत्र गन्दुरा उरांव एवं दशरथ उरांव को छोड़ गये। दशरथ उरांव अपने पीछे दो पुत्र शहदेव टोप्पो एवं शोरा उरांव को छोड़ गये। शहदेव टोप्पो अपने पीछे बुधराम उरांव, विश्वनाथ टोप्पो एवं बाबू टोप्पो (आवेदक) को छोड़ गये। आवेदक ने कहा है कि उपायुक्त के अनुमति लिए बिना हमारे जमीन को विपक्षीगण ने जबरन कब्जा कर लिया हैं। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" का उल्लघंन हैं। आवेदक की ओर से खतियान की कॉपी तथा पंजी–II भी दाखिल की गई है।

विपक्षीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल किया गया। कारण पृच्छा में कहते हैं कि इस वाद से पूर्व भी एक एस०ए०आर० वाद संख्या–307/1980–81 चला जिसमें आवेदक गोइन्दा उरांव बनाम रणधीर प्रसाद चौधरी है, इस वाद में आवेदक के आवेदन को खारिज किया गया। इस वाद के खिलाफ एक अपील दायर की गई जिसका अपील वाद संख्या–38/1985–86 है, जो अपर समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय से खारिज किया गया। पुनः एक एस०ए०आर० वाद सं०–57/1998–99 टी०आर०–329/2003–04 दशरथ उरांव बनाम रणधीर प्रसाद चौधरी, अखिलश कुमार चौधरी एवं प्रवीण कुमार चौधरी के खिलाफ दायर किया, इस वाद में भी आवेदक के आवेदन को खारिज किया गया।

गन्दुरा उरांव एवं दशरथ उरांव दोनों के पिता–लोधर उरांव ने बुचुआ उरांव को एक निबंधित पट्टा से वर्णित भूमि को बेच दिया जिसका पट्टा सं०–6768, दिनांक–04/11/1946 है। पुनः बुचुवा उरांव ने बाबु रणधीर प्रसाद चौधरी को एक निबंधित पट्टा से वर्णित भूमि को बेच दिया, जिसका पट्टा सं०–3327, दिनांक–17.06.1949 है। इसके पश्चात् रणधीर प्रसाद चौधरी दखल कब्जा के साथ मकान बना कर लगातार रहते आ रहें है तथा अपने नाम पर दाखिल–खारिज करवाकर मालगुजारी अंचल में देते आ रहें हैं। विपक्षीगण अपने कारण पृच्छा में कहते हैं कि यह जमीन छप्परबंदी हो चुका हैं, इसलिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 "A" लागु नहीं होता हैं।

Ai-J11/7/24

कृ०पृ०उल्टे

विपक्षीगण की ओर से जमीन से संबंधित दस्तावेज में निबंधित पट्टा, मालगुजारी रसीद और विभिन्न न्यायालयों के आदेश दाखिल किए हैं।

Hon'ble High Court Jharkhand **"WP(c) No. 2728/2019" Ajay Kumar Chowbey Vs Sundar Ram Rout"**

"Subrata Roy Sahara v. Union of India (2024) 8 SCC 470."

1987 BLT pg. 234.

1988 BLT 172 : 1988 PLJR (NOC) 53; 1990 (2) PLJR 517- **Followed.**

985 PLJR 732- **Referred to**

[(1991)1BLJR 141] PATNA HIGHCOURT (RANCHI BENCH) Deonath Munda Vs. Lohan Mahato & Ors

आवेदक लम्बे समय से अनुपस्थित हैं। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना साथ ही लिखित बहस भी दाखिल किया गया। विपक्षी के बहस सुनने और दोनों पक्षों के कागजातों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक के पूर्वजों द्वारा भी एस०ए०आर० वाद सं०–57/1998–99, 307/1980–81 एवं अपील वाद संख्या–38/1985–86 लाया गया था। उपरोक्त संलग्न सभी न्यायालय के आदेशों को देखने से लगता है कि यह वाद कालबाधित है तथा पोषणीय नहीं है। इस वाद में Res-Judicata का मामला भी बनता है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

11/7/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

11/7/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.04.12 16:15:57 +05:30
Location: 192.168.132.39